

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अप्रैल 2011—वैशाख 8, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्र. एफ.ए-3-34-2010-1-पांच-(39).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-34-2010-1-पांच-(103), दिनांक 28 दिसम्बर 2010 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक तथा शब्द “30 अप्रैल, 2011” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “30 जून, 2011 स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्र. एफ.ए-3-34-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-34-2010-1-पांच-(39), दिनांक 28 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th April 2011

No. F A-3-34-2010-1-V (39).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby makes the following amendment in this department's Notification No. F A-3-34-2010-1-V (103), dated 28th December 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said notification for the figures and word “ 30th April, 2011”, the figures and word “30th June, 2011” shall be substituted.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.